कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नागौर

क्रमांक प.1(सी)( )संस्था/2020/ 64 दिनांक 6-1-2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के प्रेस नोट संख्या प.4(1)(1)नपा/रानिआ/2021/51 दिनांक 05.01.21 द्वारा राज्य में 90 नगरीय निकायों के आम चुनावं के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिनांक 05.01.21 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारीगण सीधे ही राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाते है।

अतः नगरीय निकायों के आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना अवकाश या मुख्यालय से प्रस्थान नहीं किया जायेगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने/मुख्यालय छोड़ने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण पालना की जायेगी।

1. समस्त राजस्व अधिकारियों, समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा राजकीय अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा निर्वाचन डयूटी के अलावा अन्य किसी राजकीय कार्यवश मुख्यालय छोड़ने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. जिला स्तरीय अधिकारियों के अधीन पदस्थापित कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने अथवा राजकीय अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
3. समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. निर्वाचन डयूटी में नियोजित अधिकारी/कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश इस कार्यालय की पुर्वानुमति के बिना स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उक्त निर्देशों की अवहेलना की जाने अथवा बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत निलम्बन/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) नागौर

क्रमांक सम/ 65-76 दिनांक 6-1-2021

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर/डीडवाना
3. उपखण्ड अधिकारी, ——————————समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना की जाने हेतु समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।
4. जिला स्तरीय अधिकारी——————————————————————(समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना हेतु अपने अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।
5. ब्लॉक स्तरीय अधिकारी——————————————————————(समस्त)
6. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नागौर को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश को www.nagaur.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर पालना से अवगत करावें।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,नागौर को प्रसार–प्रचार हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी (चुनाव), कार्यालय हाजा
9. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर नागौर
10. निजी सहायक, अति.जिला कलक्टर, नागौर
11. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा
12. संरक्षित पत्रावली

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
नागौर